



## सप्तदश बिहार विधान सभा

### द्वादश सत्र दैनिक विवरणिका

संख्या—04

बृहस्पतिवार, दिनांक—25 जुलाई, 2024 ई०।

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.28 बजे अपराह्न तक

सभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विषय के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए बैल में आ गए। आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नोत्तर काल है, आप अपने विषय को अपने स्थान पर जाकर उठायें।

#### [1] प्रश्नकाल :-

- 05 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
- 02 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
- 22 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
- 29 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
- 113 तारांकित प्रश्न अनागत।
- तारांकित प्रश्न संख्या—412 योजना एवं विकास विभाग में स्थानान्तरित।

तदुपरान्त विषय के माननीय सदस्यण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्भासन कर गये।

#### [2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सग्राट चौधरी द्वारा "भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के "अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन" एवं स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन" तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुये वर्ष 2022-23 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदन को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखे जाने", तथा
- माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सग्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के

“अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन” एवं स्थानीय सरकार पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन” तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुये वर्ष 2022-23 के ‘राज्य के वित्त’ प्रतिवेदन का बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।”

उक्त दोनों प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

### [3] कार्य स्थगन प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य, श्री शकील अहमद खाँ, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम, डॉ० सत्येन्द्र यादव, श्री विजेन्द्र चौधरी, डॉ० रामानुज प्रसाद, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मुकेश कुमार यादव एवं माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा तथा माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार, श्री अरुण सिंह एवं श्री अजय कुमार सिंह द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

### [4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:-

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| (i) श्रीमती भागीरथी देवी         | (xiv) श्री सुनील मणि तिवारी  |
| (ii) श्री राणा रणधीर             | (xv) श्री अचमित ऋषिदेव       |
| (iii) श्री मुरारी मोहन झा        | (xvi) श्री मिश्री लाल यादव   |
| (iv) श्री रामचन्द्र प्रसाद       | (xvii) श्रीमती रश्मि वर्मा   |
| (v) श्री राम सिंह                | (xviii) श्री बीरेन्द्र कुमार |
| (vi) श्री उमाकांत सिंह           | (xix) श्री प्रमोद कुमार      |
| (vii) श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव | (xx) श्री पवन कुमार यादव     |
| (viii) श्री अरुण कुमार सिंह      | (xxi) श्री जनक सिंह          |
| (ix) श्री आलोक रंजन              | (xxii) श्री विजय कुमार खेमका |
| (x) श्री अरुण शंकर प्रसाद        | (xxiii) श्री ललन कुमार       |
| (xi) श्री अख्तरुल ईमान           | (xxiv) श्री कुमार शैलेन्द्र  |
| (xii) श्री जय प्रकाश यादव        | (xxv) श्री जिवेश कुमार       |
| (xiii) श्री विद्या सागर केशरी    |                              |

### [5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

- माननीय सदस्य, श्री मोती लाल प्रसाद का गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री मोती लाल प्रसाद द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, श्री कृष्णनंदन पासवान द्वारा उत्तर दिया गया।
- माननीय सदस्य, डॉ० रामानुज प्रसाद एवं अन्य सभासदों से प्राप्त स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना अपृष्ठ हुई।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

#### भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02:28 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

### [6] सभा के समक्ष प्रतिवेदन का रखा जाना :-

- माननीय समाप्ति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की भवन निर्माण विभाग से संबंधित सप्तम प्रतिवेदन की प्रति को सभा पट्टल रखा गया।

- (ii) माननीय सभापति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति, श्री शकील अहमद खाँ द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति को सभा पटल रखा गया।
- [7] वित्तीय कार्य :—** वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग [शिक्षा विभाग] पर वाद विवाद तथा मतदान माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।  
माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।  
अनुदान की मांग तथा कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद में माननीय सदस्य, श्री जिवेश कुमार ने भाग लिया।  
इसी क्रम में आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री जिवेश कुमार को उनके जन्म दिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनायें दी गयी।  
इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये। आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 04:50 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।
- स्थगनोपरान्त
- (04:50 बजे अपराह्न से 05:13 बजे अपराह्न तक)
- [इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]
- सरकार की ओर से माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री सुनील कुमार द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया।  
सदन द्वारा माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।  
इसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगें बारी-बारी से मुख्यबंध (गिलोटीन) द्वारा स्वीकृत हुईं।
- [8] विधायी कार्य – राजकीय विधेयक :-**
- बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024**
- माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट् चौधरी द्वारा बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 को सदन की अनुमति से पुरास्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।  
विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त सभी खंड एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने।  
माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।  
तदुपरान्त “बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024” सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।
- [9] निवेदन :-**
- आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 72 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।  
तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 को 11:00 बजे पूर्वांतक के लिए स्थगित हुई।
- पटना  
दिनांक—25.07.2024
- ख्याति सिंह  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।